

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर  
क्रमांक:- स-4(44)पु0फो0/कानि0/अनु0-5/2019/1200 दिनांक:- 03.2019

### आदेश


निम्नलिखित महिला कानि0 का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नामों के सम्मुख अंकितानुसार स्थान पर स्वयं की प्रार्थना पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र.स.	नाम कर्मचारी	बैल्ट नं0	भर्ती वर्ष	कहाँ से	कहाँ को
1	श्रीमती कविता	महिला कानि0 2051	2015	जिला जैसलमेर	जीआरपी अजमेर

उक्त पुलिस कर्मियों को यात्रा भत्ता/ज्वाइनिंग समय का लाभ देय नहीं होगा।


1. उक्त आदेश में यदि किसी कर्मिक की पदोन्नति हो गई हो तो उसका स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जावे, तथा इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराया जावे।
2. उक्त आदेश में यदि किसी पुलिस कर्मी के विरुद्ध सी0सी0ए0 रूल्स के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही अथवा कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हो तो उसको कार्यमुक्त न कर इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराया जावे।
3. उक्त आदेश में यदि कोई कानि. पूर्व में शिकायतन आधार पर आपके जिले में पदस्थापित किया गया है तो उसे कार्यमुक्त नहीं करते हुये इस कार्यालय को शीघ्र अवगत करावे।
4. स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत उक्त कानि0 का गृह थाना के वृत्त में पदस्थापन नहीं किया जावे।

ई0ओ0बी0 न0 /2019

  
(आलोक श्रीवास्तव),  
अति0 पुलिस अधीक्षक,  
मुख्यालय,  
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति0 महानिदेशक पुलिस, (रेलवेज), राजस्थान जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज, जोधपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला जैसलमेर मय जीआरपी अजमेर।
4. ईओबी/गार्ड पत्रावली।

  
अति0 पुलिस अधीक्षक,  
मुख्यालय,  
राजस्थान जयपुर।